पंचम माला, खंड 65, अंक 4, गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1976/ 6 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 4, Thursday, October 28, 1976/ Kartika 6, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT LIBR
Acc. No.

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[अठारहवां सत्र / Eighteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं / Vol. LXV contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी।/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1976/6 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 4, Thursday, October 28, 1976/Kartika 6, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table ..	.. 1—5
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ..	.. 5—9
खंड 2 से 7	Clauses 2 to 7 ..	.. 9—34

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री दी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री श्रा (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोज़फ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आज़मगढ़)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकिया, श्री इराजमुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारासात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुलकीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० मांझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 28 अक्तूबर, 1976/6 कार्तिक 1898 (शक)

Thursday, October 28, 1976/Kartika 6, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1976

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : मैं गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3559 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल० टी० 11419/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनायें तथा तमिलनाडु राज्य में स्टाम्पों की सप्लाई के बारे में उद्घोषणा आदि आदि।

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 797 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सा० सां० नि० 798 (ङ) जो दिनांक 10 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) सा० सां० नि० 842 (ङ) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 846 (ङ) जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 11420/76]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 1393 जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा०सां० नि० 1492 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** सं० एल० टी० 11421/76]

(एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 75-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एल० 5237/75 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में लागू स्टाम्पों की सप्लाई और वितरण सम्बन्धी नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11422/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा विनियमनों के अधीन अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पांचवां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1461 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1462 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1463 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1464 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1465 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1466 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 11423/76]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विनियम, 76 तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 32 के अन्तर्गत जारी किये गये स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मई, 1976 के चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० ई० 3 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11424/76]

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11425/76]

भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1976

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1320 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 11426/76]

उड़ीसा कृषि और लघु उद्योग निगम लि० कटक के वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) उड़ीसा कृषि और लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1968-69 और 1969-70 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उड़ीसा कृषि और लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(तीन) उड़ीसा कृषि और लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) उपर्युक्त (दो) और (तीन) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 11427/76]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम तथा सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाकघर बचत बैंक (चौथा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 813 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाकघर बचत बैंक (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1469 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11428/76]

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (पांचवां निर्गम) (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 824(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** सं० एल० टी० 11429/76]

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक--जारी

Constitution (Forty-Fourth Amendment) Bill—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (44वें) संशोधन विधेयक पर आगे चर्चा करते हैं । विधि मंत्री ।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है । सत्तारूढ़ दल तथा कुछ विरोधी दलों के सदस्यों ने भी चर्चा के दौरान अच्छा योगदान दिया है । खेद की बात है कि कुछ माननीय सदस्यों का इस विधेयक के सम्बन्ध में सभा के अन्दर तथा बाहर अभी भी वही रवैया बना हुआ है जो कि विधेयक के सभा में पेश होने से पूर्व या पेश करने के समय अर्थात् 1 सितम्बर को था । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कल कहा कि यह एक अनूठा विधान है । जब एक सदस्य का संसद् के लिये चुनाव होता है तो उसका मुख्य कर्त्तव्य यह होता है कि वह संसद् की कार्यवाहियों में भाग लेकर अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप उसमें योगदान देगा । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।

केशवानन्द भारती और गोलकनाथ के मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिये गये हैं उससे देश में काफी भ्रांति पैदा हुई है और हम नहीं चाहते कि ऐसी बातों की पुनरावृत्ति हो और विचारार्थ वर्तमान संशोधनों में हम सम्भव प्रयास करेंगे कि भविष्य में ऐसी बात की पुनरावृत्ति न हो । अब संविधान में परिवर्तनों की वैधता के सम्बन्ध में निर्णय करना तो अलग रहा । इस विषय में उच्चतम न्यायालय को विचारार्थ कोई चीज स्वीकार करने का अधिकार नहीं रहेगा । इसलिये हमने अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद यह व्यवस्था होगी कि संविधान में किसी भी संशोधन को केवल इस आधार को छोड़कर कि संशोधन निर्धारित कार्यविधि के अनुसार नहीं किया गया । किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । यदि इस स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद संघर्ष की पुनरावृत्ति होती तो यह न्याय पालिका के लिये अच्छा नहीं होगा ।

कुछ वर्ष पहले राज्य सभा के एक सदस्य ने, जो कि बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, कहा था "कि कानून एक पीढ़ी पीछे है वकील दो पीढी पीछे हैं और न्यायाधीश तीन पीढ़ियां पीछे हैं" उन्होंने जब यह बात कही थी तब से अब तक देश के न्यायिक

विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायाधीश केवल तीन पीढ़ियों ही नहीं अपितु कई पीढ़ियां पीछे है । उन्हें अब यह देखना है कि यदि वह समाज से आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम उसके अनुरूप तो रहें ।

श्री स्वर्ण सिंह ने इसी पृष्ठभूमि में कहा है कि प्रस्तावित उपबन्ध न्यायालयों को यह बताने के लिये है कि देश में उनका स्थान क्या है और संसद् का स्थान क्या है और इसी सन्दर्भ में कल प्रधान मन्त्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है । इससे सर्वोच्च संसद् है जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं ।

इस सभा के भीतर और बाहर दिए गए भाषणों, विशेषकर वकीलों और भूतपूर्व न्यायाधीशों के भाषणों का उल्लेख किया गया है । इन लोगों ने बिल्कुल कानूनी रुख अपनाया है । जनता की क्या राय है, इसका ध्यान नहीं रखा । यह लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही वह यह जानते हैं कि इस देश की जनता वास्तव में क्या चाहती है ।

यह बात ठीक नहीं है कि न्यायपालिकाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है तथा उसे निरर्थक बनाया जा रहा है । हम सब जानते हैं कि देश में न्यायपालिका ने उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है जिसके लिए हमने उसका गठन किया है अपितु इसने कुछ पेचीदगियां ही उत्पन्न की हैं । लोग अदालतों से निराश होकर लौटते हैं । यह धारणा बन रही है कि आम आदमी के लिए न्याय प्राप्त करना सम्भव नहीं है । हम ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते जिससे पूरी न्याय प्रणाली अस्तव्यस्त हो जाये तथा अदालतें अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में असमर्थ हो जाएं । यदि हमारा उद्देश्य यह है तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करें ।

हमारे न्यायालयों ने बहुत कुछ लम्बे लम्बे निर्णय दिये हैं और ये निर्णय आम आदमी की समझ में मुश्किल से ही आते हैं ।

यह बात विचार करने योग्य है कि क्या हमारे यहां न्यायाधीशों को केवल बहुमत का निर्णय ही सुनाना चाहिए जैसा कि ब्रिटेन में किया जाता है ।

हमारे कुछ वकील सदस्यों ने अनुच्छेद 226 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । इस बारे में मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम न्यायालयों के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और न ही उन मामलों के बारे में जिनका सम्बन्ध न्यायिक निर्णयों से है कोई उनके अधिकार छीन रहे हैं अथवा उनका क्षेत्राधिकार कम करने जा रहे हैं क्योंकि मूल अधिकार अभी विद्यमान हैं और उनकी रक्षा का काम उन्हें ही करना होगा और आवश्यकतानुसार उन्हें रिट भी जारी करने होंगे। संविधान के किसी अन्य उपबन्ध के उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती देने की मनाही नहीं होगी ।

जैसा कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने कहा है किसी अन्य उद्देश्य शब्दों को हटाने की सिफारिश काफी वर्ष पूर्व बनी उस समिति ने की थी जिसके अध्यक्ष स्वयं श्री नेहरू थे। अतः यह कोई नई प्रेरणा नहीं है । ऐसा करना अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालयों द्वारा उनके कार्यकरण को देखते हुए किया गया है । यह कहना भी उचित नहीं है कि न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कम कर दिया गया है क्योंकि उच्च न्यायालयों में विधि-विरोधी किसी प्रशासकीय कार्य को चुनौती दी जा सकेगी ।

कहा गया है कि किसी भी केन्द्रीय विधान को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का द्वार खटखटाना होगा जबकि राज्य के किसी कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी । हमारा अनुभव यही रहा है कि उच्च न्यायालय में उठाया गया ऐसा प्रत्येक मामला अन्ततः उच्चतम न्यायालय में ही ले जाया गया है । इसलिए यदि अब सीधे ही ऐसी व्यवस्था करने पर आपत्ति क्यों की गई है ?

कुछ सदस्यों ने विचाराधीन मामलों का उल्लेख किया है। हमने इसका उपबन्ध किया है कि जब नया संविधान लागू होगा तब प्रत्येक मामले पर उसी पृष्ठभूमि में विचार किया जाएगा। इससे जो सबसे अच्छा परिणाम होगा वह यह होगा कि अनेक अनावश्यक मामले अपने आप निपट जाएंगे न्यायालयों का काम काफी कम और आसान हो जाएगा।

संसद् द्वारा बनाए जाने वाले विधान द्वारा न्यायाधिकरणों के गठन की व्यवस्था है परन्तु कुछ सदस्यों को इनके क्षेत्राधिकार के बारे में चिन्ता है और उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 311 के अधीन जिन मामलों को न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता उन्हें इन न्यायाधिकरणों में उठाने की अनुमति होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी कानूनी कठिनाई का समाधान ही हमारा उद्देश्य है। इस समय उनके गठन की रूपरेखा बताना सम्भव नहीं है परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उनका गठन उनके कार्यों के अनुरूप ही होगा और इनसे जनता के मन में विश्वास उत्पन्न होगा। ऐसे ही अन्य विषयों पर मैं खण्डवार विचार के समय चर्चा करूंगा।

शायद श्री मनोहरन ने प्रस्तावना के सम्बन्ध में कहा था कि हमें 'संघीय' शब्द जोड़ना चाहिये। इस पर संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी और किसी ने भी तब यह नहीं माना था कि हमारा संविधान संघीय है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि 'संघीय' शब्द शामिल करने से हमारा संविधान संघीय हो जाएगा। अब समय आ गया है जबकि हमें पुस्तकों में लिखे सिद्धान्तों के बजाय अपने इतिहास, अपने अनुभव और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ना चाहिये और अपने विधान की रचना करनी चाहिये। यह कहना भी उचित नहीं है कि क्योंकि अमुक बात किसी अमुक पुस्तक में नहीं है अतः वह गलत है और हमें तथा आने वाली पीढ़ियों को इससे हानि होगी आत्म विश्वास की कमी का द्योतक है। हमें ऐसी भावना का त्याग करना होगा।

श्री फ्रेंक एंथनी ने अनुच्छेद 31ख के बारे में कहा है कि वह सामान्यतः सभी पर लागू होता है और इससे अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात होता है परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस राज्य में अल्पसंख्यकों का भविष्य सुरक्षित है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अनुच्छेद न ही नया है और न ही उसमें कोई संशोधन किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में श्री मुखर्जी ने ठीक ही कहा है कि यद्यपि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिये परन्तु साथ ही उन्हें भी तो शेष जनता की धारा में एकाकार होना है।

नए अनुच्छेद 31घ के बारे में अनेक सदस्यों ने सन्देह व्यक्त किए हैं। उनका उत्तर कल प्रधान मन्त्री ने दे ही दिया है और मैं नहीं समझता कि अब मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस या सरकार तक के विरोध को 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा और उचित तथा शुद्ध श्रमिक संघ गतिविधि को भी 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधि की परिभाषा में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने नये अनुच्छेद 257-क, जिसमें सेना भेजने की व्यवस्था की गई है, का उल्लेख किया था। अन्य देशों के संविधानों में भी ऐसी व्यवस्था है। अमरीका में विधि द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है तथा वहां सात बार इस उपबन्ध का उपयोग किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि क्योंकि अमरीका में ऐसी व्यवस्था है इस लिए हमारे यहां भी हो, बल्कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस उपबन्ध का उद्देश्य राज्यों को कानून और व्यवस्था की स्थिति में हस्तक्षेप करना नहीं है। इस उपबन्ध का उद्देश्य तो केवल देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखना है। विगत के अनुभव से

हमने यह महसूस किया है कि जब स्थिति किसी राज्य में बहुत गम्भीर हो जाये, तो ऐसे उपबन्ध का होना बहुत जरूरी है तथा इसीलिए यह उपबन्ध किया गया है ।

राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया गया था । हमने प्रस्तावित विधेयक में यह व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा । यह कोई नई बात नहीं है । हमेशा यही स्थिति रही है । इस बारे में संविधान सभा में सविस्तार विचार किया गया था तथा संविधान सभा में यह सुझाव दिया गया था कि संविधान में यह उल्लेख किया जाये कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् के परामर्श पर कार्य करेगा । परन्तु उस समय ऐसा नहीं किया गया । ऐसा केवल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी और संविधान के पूरे वाचन के बाद इसे अनावश्यक समझा गया । वस्तुत: स्थिति हमेशा ऐसी ही रही है । इस समय केवल सावधानी के तौर पर इसे संविधान में सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि इस सम्बन्ध में आये दिन उठने वाले सन्देहों का निराकरण किया जा सके ।

सहकारी खेती के बारे में भी उल्लेख किया गया था । अपेक्षाकृत इस छोटे मामले में भी कठिनाइयां पैदा हुई हैं और अन्य मामलों में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं । 20-सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने कई कार्यों को अपने हाथ में लिया है तथा ऐसी स्थिति में हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते, जो जनता में कुछ गलतफहमी अथवा अविश्वास पैदा करे ।

जहां तक काम करने के अधिकार का सम्बन्ध है, काम करने का अधिकार उपलब्ध है तथा किसी को भी काम करने से नहीं रोका जाता । परन्तु मैं समझता हूं कि काम करने के अधिकार का अर्थ शायद रोजगार प्रदान करने से है । हर व्यक्ति को काम करना चाहिए तथा इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है । हमारी यह इच्छा है कि हर व्यक्ति को काम मिले । हमारे नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का सही प्रयोजन है और इस सम्बन्ध में कानून बनाए जा रहे हैं । इन कानूनों से ऐसी स्थिति पैदा होगी कि हमारी कामना वास्तविकता बन जायेगी । हमारा उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त हो । हम चाहते हैं कि केवल रोजगार ही नहीं, अपितु लाभ प्रद रोजगार प्राप्त हो । इसे मूल अधिकार बना देने से समस्या हल नहीं होगी ।

हमें एक-एक पग आगे बढ़ना है और कोई भी कार्य करके हम यह नहीं कह सकते कि यह हमारा अन्तिम कार्य है । हम यह दावा नहीं कर सकते कि सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । हो सकता है कि पुरानी कठिनाइयां दूर होने से कुछ नई कठिनाइयां उठ खड़ी हों । लेकिन हमारा कर्त्तव्य उन कठिनाइयों को दूर करना है । इस भावना से और इस पृष्ठ भूमि में मैं अनुरोध करता कि मेरा यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, सभा के मतदान के लिए रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री एस० एल० सक्सेना का संशोधन कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जा सभा के मतदान के लिए रखता हूं । स संशोधन के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है । प्रश्न यह है :—

> "कि विधेयक को उस पर 30 नवम्बर, 1976 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये ।"

जो माननीय सदस्य इस के पक्ष में हैं, वे 'हां' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय जो विपक्ष में; हैं वे 'नहीं' कहें ।

कई माननीय सदस्य : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : "नहीं" वाले जीत गये ।

श्री एस० एल० सक्सेना : जी नहीं 'हां', वाले जीत गए ।

अध्यक्ष महोदय : जो पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना और श्री पी० जी० मावलंकर खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : पक्ष में केवल दो सदस्य हैं । प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :—

'कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

The House divided:

अध्यक्ष महोदय : मतदान का परिणाम स प्रकार है :—

पक्ष में—345

Ayes—346

विपक्ष में—2

Noes—2

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ होगा ।

खण्ड 2

Clause 2

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं ।

श्री वी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 40 पेश करता हूं ।

श्री हर किशोर सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 192 पेश करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 228 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री निम्बालकर : मैं अपना संशोधन संख्या 252 पेश करता हूं ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं अपने संशोधन संख्या 260 और 272 पेश करता हूं ।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं अपने संशोधन संख्या 290 और 291 पेश करता हूं ।

श्री के० नारायण राव : मैं अपना संशोधन संख्या 350 पेश करता हूं ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं अपने संशोधन संख्या 361 और 362 पेश करता हूं ।

श्री जांबुवंत धोटे : मैं अपना संशोधन संख्या 402 पेश करता हूं ।

श्री यमुना प्रसाद मण्डल : मैं अपना संशोधन संख्या 414 पेश करता हूं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 493 पेश करता हूं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): When we are adding the word "Socialist" in Preamble, it is necessary that some concrete proposals are included in the Bill so as to bring about socialism in the country. It should, therefore, be provided that there will be equal distribution of national income, permitting a disparity not higher than the ratio of one to five between the incomes of the lowest and the highest paid person, paid from the public funds. It should also be provided that there would be no unemployment and that there would be no distinction between citizen and citizen and/or groups or classes of citizens for any purpose whatsoever either on ground of caste, creed, religion or any other ground.

This amendment is very necessary. We have been noting the slogan of socialism in this House for quite a long time. Let us usher in the socialism in real sense of the term in the country by taking these concrete measures otherwise the people will not forgive us.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री सिद्धान्त रूप से काम करने के अधिकार को स्वीकार करते हैं ।

प्रस्तावना में एक संशोधन द्वारा यह बात भी जोड़ी जानी चाहिये कि लोगों को काम करने का अधिकार होगा । यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि नागरिकों को काम करने से कोई नहीं रोकता । हमारे देश में एक करोड़ बेरोजगार लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं । इन एक करोड़ लोगों के लिये रोजगार ढूंढना एक टेढ़ी खीर है । रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी जानी चाहिये और इसके लिये बजट में आवश्यक धनराशि आवंटित की जानी चाहिये ।

मंत्री महोदय आश्वासन दें कि युवा वर्ग को अर्थात् 20–30 वर्ष की आयु वाले लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में वह कुछ करेंगे ।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): Mr. Speaker, I thank you very much for giving me an opportunity to express my views on the Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill. This Bill has been brought here with a view to removing certain obstacles in the way of implementing those programmes which aim at ushering in socialism in our country. But unless the opportunities are made available for the education of children of weaker sections of the society, that socialism has no meaning. Therefore, it has rightly been suggested to make its specific mention in the Preamble.

That efforts should be made to provide medical facilities to poorer sections. A provision should also be made to provide employment to every able-bodied youngman. All these things must find a place in our Constitution.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : माननीय विधि मंत्री 'संघीय' शब्द स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि हमारा संविधान संघीय नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि 'संगठित' शब्द 'प्रभुसत्ता सम्पन्न' शब्द से पहले आना चाहिये। मंत्री महोदय इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि हमारा देश संगठित नहीं है। अतः 'संगठित' शब्द रखना काफ़ी उचित है।

Shri M. L. Daga (Pali): The Hindi translation of the phrase "Soviet Socialist Democratic Republic" is faulty and it gives a different connotation. Uptill now, by the term "Socialism" we meant a socialist pattern of society, a society of Indian pattern. But now, it has been laid down that it will mean Socialist Republic'

Shri Md. Jamilurrahman (Kisanganj): My party and my country are committed to Socialism. I, therefore, welcome the inclusion of the word "socialism" in clause 2 of the Bill.

My amendment aims at establishing a social order in which there shall be no distinction made by the authorities between citizens either on the ground of religion, caste, creed or any other ground.

We can usher true socialism only by ending all disparities between the rich and the poor.

In rural areas, we don't have adequate number of schools with the result that the children in villages don't get proper education. But in cities, there are a good number of public schools and the Central Schools. It is imperative to provide proper education facilities in the rural areas. At the same time, we must ensure fair distribution of essential commodities in villages. We should give due attention towards ameliorating the lot of our rural population as in the progress of villages lies the progress of the country.

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज): संविधान की प्रस्तावना में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार अभिव्यक्ति, धर्म निष्ठा और उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। प्रस्तावना के आरम्भ में ईश्वर और महात्मा गांधी तथा शहीदों के नाम हैं यह आयरलैंड के स्वतंत्र राज्य के संविधान के अनुरूप है। इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे हमारा संविधान और अधिक प्रतिष्ठित होगा।

मैंने अपने संशोधन में 'समाजवाद' शब्द नहीं जोड़ा है। क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि इस शब्द की कोई सरल परिभाषा नहीं दी जा सकती है और इसे प्रस्तावना में सम्मिलित करने से केवल भ्रान्ति ही होगी तथा यह और अधिक अस्पष्ट हो जायेगा एवम् हमें इससे कोई लाभ भी नहीं होगा।

"सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" शब्द मौजूद हैं। इसी तरह धर्मनिरपेक्षता "विचार अभिव्यक्ति, धर्मनिष्ठा और उपासना की स्वतन्त्रता" के अन्तर्गत आ जाती है। इस शब्द की पुनरावत्ति से भ्रम पैदा हो जायेगा। तीसरे, जहां तक देश और राष्ट्र का सम्बन्ध है, एकता देश की ही हो सकती है राष्ट्र की नहीं। अतः मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया है जो अंग्रेजी भाषा के अनुरूप है।

जहां तक 'समाजवाद' का सम्बन्ध है, सोवियत संघ, चीन, पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुलगारिया समाजवादी गणतंत्र है। ये सभी देश अपने आप को समाजवादी गणतंत्र कहते हैं। हमारा संविधान ऐसा नहीं है। "समाजवाद" शब्द भ्रान्ति मूलक है तथा इससे हमें

[प्रो० एस० एल० सक्सेना]

कोई लाभ नहीं होगा। अत: मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : स विधेयक पर अनेक बार मतदान होगा जिससे बहुत से माननीय सदस्यों को असुविधा हो सकती है। इस बारे में मैंने विपक्षी नेताओं से परामर्श किया है और अपने प्रस्ताव पर उनकी सहमति ले ली है। मेरा प्रस्ताव है कि मतदान प्रतिदिन शाम के 5.30 बजे से 6.00 बजे तक हो। जिन खण्डों पर दिन में चर्चा हो जायेगी उन्हीं पर शाम को मतदान होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों को यह स्वीकार है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह स्वीकृत होता है।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): The Preamble of Constitution is a very important part of it. We are making amendments to the Preamble of the Constitution. I have also given an amendment to it to the effect that the words 'Progressive Republic' should be added to it. Without adding these words in the Preamble, the amendments we are now making would be insufficient to serve the purpose. We are adopting progressive ideas and approach and, therefore, addition of these words will be befiting.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I urge upon the Law Minister to accept my amendment and add the words 'Progressive Republic' to the Preamble of Constitution.

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastepur): Sir, the object of this Constitution (Amendment) Bill is to bring about Social and Economic revolution in the country in a peaceful manner. In view of this, revolutionary changes have been made in the Preamble to the Constitution by adding the words 'Socialist' and 'Secular'. Socialist pattern of Society will be established in the country. I am thankful to the Prime Minister and Law Minister for making amendments in the Preamble and the Constitution.

Increasing economic disparity should be removed and right to property should not be allowed to continue. Other measures such as imposing death duty, Wealth tax, Super tax should be taken in order to remove this disparity.

श्री के० नारायणराव (बोबिली): मेरा संशोधन तो बहुत ही छोटा सा है कि "समाजवादी" शब्द के पश्चात् "और" शब्द अन्त:स्थापित किया जाये। इससे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अधिक बल दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल वे ही सदस्य बोलेंगे जिन्होंने अपने संशोधन प्रस्तुत करने के नोटिस दिये हैं।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): Sir, the Preamble to our Constitution contains various terms which can be interpreted in different ways. The word 'Secular' has not been correctly translated in Hindi. The Hindi term does not convey the idea of respectful attitude towards all religions. 'Secular' stands for

all the religions whereas its Hindi translation would convey the sense 'not for any religion'. Therefore we should try to make the Preamble as precise and short as possible.

This clause also seeks to add the word 'Socialist' to the Preamble. But it is not clear anywhere as to what kind of socialism it is. It is a vague term. It should be specifically laid down that it means 'Scientific Socialism'.

The word 'State' reminds us of the feudal system. All such words should be excluded and the Preamble should be as precise and short as possible, and my amendment should be accepted.

श्री एच० आर० गोखले : मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं। यद्यपि बहुत सी बातों पर सिद्धान्त रूप में कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इन सभी बातों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ना सम्भव नहीं है। हम ने मूल धारणाओं का ही उल्लेख किया है। हमने 'समाजवाद' का उल्लेख किया है और जब हम समाजवाद के कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं तो उन सभी बातों को कार्यान्वित करना स्वाभाविक ही है। लेकिन श्री सक्सेना और श्री धोटे के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोकतंत्र और समाजवाद की संकल्पना के प्रतिकूल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरराव सांवत ने संशोधन संख्या 75 को प्रस्तुत करने की सूचना दी है। वह एक नया खण्ड 2(क) पुरःस्थापित करना चाहते हैं। लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिये उसे नहीं लिया जायेगा। खण्ड 3 पर कोई संशोधन नहीं है। अतः सभी खण्डों को शाम के 5.30 बजे पेश किया जायेगा। . . . . (**व्यवधान**)

श्री अमृत नहाटा यहां उपस्थित नहीं हैं।

खण्ड—4

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं अपना संशोधन संख्या 206 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : मैं अपना संशोधन संख्या 304 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं अनुच्छेद 31(ग) में प्रस्तावित संशोधन में प्रयुक्त शब्दों में शुद्धि करने वाला संशोधन पेश करना चाहता हूं। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए एक विधान पर्याप्त नहीं है। मुझे आशा है कि विधि मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : मुझे इस बात का हर्ष है कि विधि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी। लेकिन इस आश्वासन को संहिताबद्ध किया जाये। स्वर्णसिंह समिति के प्रतिवेदन में भी इसी बात की सिफारिश की गई है। अतः इस आश्वासन को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।

श्री जाम्बुवंत धोटे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनियमित है और मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस स्थिति में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में विधि मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की मैं सराहना करता हूं ।

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले विवरण में बताया गया है इस विधेयक का उद्देश्य निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखना है। मैं भी यह मानता हूं कि यदि एक बार निदेशक सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों की तुलना में ऊंचा स्थान दे दिया गया तो अवश्य ही अल्पसंख्यकों के अधिकार कमजोर हो जायेंगे ।

अनुच्छेद 14 अल्पसंख्यकों के साथ किये जाने वाले भेदभाव पर प्रतिबन्ध लगाता है। अनुच्छेद 31(ग) भी उन मौलिक सिद्धान्तों का अतिक्रमण करता है जो अल्पसंख्यकों के लिए घातक हैं । यहां बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को संसद् में विश्वास करना चाहिए। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन साथ ही मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि उसे भी अल्पसंख्यकों की उदारता पर विश्वास करना चाहिए। किन्तु यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि किसी भी कानून से अल्पसंख्यकों के अधिकार कम न हों।

दूसरे हम अपने देश को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक देश घोषित करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमारे व्यक्तिगत कानून को बनाये रखा जाये तो इससे देश की धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को एक साथ लिया जाये तो इन जातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक है । अतः यह वास्तव में अल्पसंख्यक अधिकार न होकर बहुसंख्यक अधिकार है । आशा है विधि मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे ।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): Sir, I had given notice of an amendment to clause No. 1. But the Hon. Speaker did not call me.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । खण्डों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया बनाई गई है। खण्ड 1 और शीर्षक के नाम पर अन्त में चर्चा की जाती है ।

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी के संशोधन का सम्बन्ध है, वह समझते हैं कि यदि 'सभी या' शब्दों का लोप कर दिया जाये तो ठीक हो जायेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रथम तो कोई भी कानून सभी निदेशक सिद्धान्तों को एक साथ कार्यरूप नहीं देत है। यद्यपि इस बात की सम्भावना होती है कि एक से अधिक निदेशक सिद्धान्त कानून का रूप धारण कर लेते हैं। अतः "सभी या कोई" शब्द रखना अनिवार्य है ।

फिर इस मामले को न्यायिक व्याख्या के लिए छोड़ना उचित नहीं है। मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

कहा गया है कि अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी कानून के बनाने से अनुच्छेद 14 तथा 19 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रभावित न हों। किन्तु अनुच्छेद 14 तथा 19 केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ही बारे में नहीं है । भाग 3 के अन्य भागों में विशेष अनुरक्षण दिये हुए हैं। अतः अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन मौलिक

अधिकारों के कारण निर्देशक सिद्धान्तों के बारे में बनाये गये कानून को किसी न्यायालय में रद्द न किया जा सके।

जहां तक अनुच्छेद 14 या 19 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले कानून द्वारा समानता के सिद्धान्तों के उल्लंघन की आशंका का सम्बन्ध है, यह उचित समय है कि इस तरह की आशंका अपने मन से हटा दी जाये। उद्देश्य यह है कि आर्थिक कानूनों में किये जाने वाले ऐसे परिवर्तनों से अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों को लाभ पहुंचे। अतः यह आशंका या डर उचित नहीं है।

खण्ड--5

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 को लेते हैं। उसके लिए कुछ संशोधन हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैं संशोधन संख्या 25 और 26 पेश करता हूं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं संशोधन संख्या 41 पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 229, 230 और 231 पेश करता हूं।

श्री वी० वी० नायक : मैं संशोधन संख्या 271 पेश करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव : मैं संशोधन संख्या 274, 275, 276 और 277 पेश करता हूं।

श्री एस० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 282 पेश करता हूं।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : मैं संशोधन संख्या 292 और 293 पेश करता हूं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : मैं संशोधन संख्या 305 पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 335 पेश करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव : मैं संशोधन संख्या 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 और 374 पेश करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं संशोधन संख्या 428 पेश करता हूं।

श्री ए० सी० दास : मैं संशोधन संख्या 437 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 449, 450 और 451 पेश करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 494, 495,496, 497, 498, 499, 500, 501, 502 और 503 पेश करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,--

"(Fourty-fourth Amendment)" ["(चवालीसवां संशोधन)"] के स्थान पर "(Fourty second Amendment)" ["(बयालीसवां संशोधन)"] रखा जाए।

डा० कैलाश : मैं संशोधन संख्या 553 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जाम्बुवंत धोटे : मैं संशोधन संख्या 559 और 560 पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 571 पेश करता हूं।

श्री बी० वी० नायक : कई ऐसे राष्ट्र विरोधी संगठन हैं, जिनका कोई विधान नहीं है। इस तरह के संगठन को राष्ट्र-विरोधी संगठन के रूप में मानना कठिन है। इसी तरह सदस्यता का प्रश्न भी उठता है। ऐसा संभव है कि कुछ अच्छे संगठनों में कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व घुस जायें। खंड 5 में दी गई संगठन की परिभाषा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है। इसमें समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं खंड 5 का पूरी तरह विरोध करता हूं। यह हमारी सांविधिक पुस्तिका के लिए अशोभनीय होगा। इससे किसी भी तरह की सरकार विरोधी गतिविधि असंभव हो जायेगी और सभी विपक्षी दलों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जायेगा। अतः इसे हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि अपराध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सरकार को पहले ही शक्ति प्राप्त है तथा शक्ति द्वारा सरकार को उखाड़ने आदि की कार्रवाई को इसके अन्तर्गत निपटा जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : खण्ड 5 के अनुसार मिल कर्मचारियों का अपनी मांगें रखने के लिए मिल के गेट के बाहर इकट्ठा होना भी आन्तरिक गड़बड़ी में आ सकता है तथा उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया जा सकता है। हमें संगठन बनाने का अधिकार है। हम इकट्ठे होकर सही बात के लिए लड़ सकते हैं। किन्तु इस बात का निर्णय कौन करेगा कि अमुक गति विधि आंतरिक गड़बड़ी पैदा करेगी या उससे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसका अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को देना उचित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक से अधिक खण्डों के लिए संशोधन देने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे सभी खण्डों पर बोलें।

श्री कार्तिक उरांव : खंड 5 में राष्ट्र विरोधी गतिविधि की परिभाषा में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। किसी लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार को शक्ति के बल पर सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि वह लोकतांत्रिक और कानूनी नियमों का उल्लंघन करे, तभी सरकार का तख्ता पलटा जा सकता है।

कर्मकारों, किसानों तथा समाज के अन्य वर्गों द्वारा सरकार में या सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रम में किसी ऐसे मामले में, जिससे विभिन्न वर्गों में घृणा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हो, परिवर्तन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन या हड़ताल करना देश-विरोधी गतिविधि नहीं समझी जानी चाहिए। यदि कोई गलत बात हो रही है तो क्या हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते?

खंड 5 में यह उपबंध किया जा रहा है कि विभिन्न धर्मों, भाषा या क्षेत्रीय दलों या जाति अथवा समुदायों के बीच की एकता को भंग करने या धमकी देने की कोई भी गतिविधि, जो जानबूझ कर की गई हो या जो जानबूझ कर बनाई गई योजना का भाग हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधि समझी जायेगी।

"धर्मों, भाषा या क्षेत्रीय दलों अथवा जातियों या समुदायों" के स्थान पर "जाति, साम्प्रदायिक, भाषायी अथवा क्षेत्रीय दल" शब्द प्रतिस्थापित किये जाने चाहिएं।

हम कुछ क्षेत्रों में पैदा की जा रही आर्थिक विषमताओं के विरुद्ध उठायी जाने वाली आवाज को बन्द नहीं कर सकते। यदि हम कहते हैं कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है या उनका विकास नहीं किया जा रहा है और यदि इस बात को राष्ट्र विरोधी बात समझा जाता है तो यह अनुचित है।

Shri Md. Jamilurrahman: Any action taken for religious preachings and propagation shall not be treated as anti-national.

Our bureaucrats should not be given more powers. Otherwise they will make our Constitution a mockery. We have added "Secular" and "Socialist" words in the preamble to Constitution. If in a Secular and Socialist country any body propagate his religion, he should not be considered as anti-national element. We are force to propagate our religion. Restrictions should not be imposed on religious processions.

Mr. Gokhale has said that the rights of minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be protected, but the question is this that how far their rights are being protected. Government have reserved certain quota in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but that quota has not been filled up. The rights of minorities, Scheduled Castes and Scheduled Tribes guaranteed, under the Constitution should not be affected. A provision should be made in clause 5 for this purpose.

श्री **इब्राहीम सुलेमान सेठ** (कोजीकोड) : खंड 5 में राष्ट्र-विरोधी गतिविधि के बारे में किये जा रहे उपबन्ध से अल्पसंख्यकों के ही नहीं वरन् आम जनता के मन में आशंका उत्पन्न हो गई है।

हमें अपने धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता है। किन्तु देश-विरोधी गतिविधि की अतिशयोक्तिपूर्ण परिभाषा की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। स्थानीय स्तर का एक छोटा सा अधिकारी भी इसकी व्याख्या कर सकता है। यदि संविधान में यह खंड रख लिया गया तो ये स्थानीय अधिकारी सभी शक्तियां ले लेंगे। ये नौकरशाह मनमानी करने लगेंगे और लोगों पर अत्याचार करेंगे।

यहां तक कि श्रमिकों का समुचित मजूरी लेने के लिए आन्दोलन करने का अधिकार भी छीन लिया जायेगा। न्याय पाने के लिए श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलनों को रोक लिया जायेगा अल्पसंख्यकों की न्यायोचित मांगों के लिए बैठक बुलाने का अधिकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी अल्पसंख्यकों को संगठन बनाने का अधिकार है। यदि हम अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन करेंगे तो उसे आंतरिक गड़बड़ी या साम्प्रदायिक एकता भंग करने की गतिविधि समझ लिया जायेगा।

किसी भी कार्यकारी आदेश या इस कानून के अन्तर्गत किसी संगठन को देश-विरोधी घोषित करने की कार्यवाही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करने के लिए विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : खंड 5 से सरकार को कोई नई शक्ति नहीं मिलती क्योंकि हम पहले ही गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम पारित कर चुके हैं, जिसके अन्तर्गत किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने का सरकार को अधिकार प्राप्त है।

अतः यह शक्ति तो सरकार को पहले ही प्राप्त है। अब तो केवल इतना है कि हमें "समुचित प्रतिबन्धों" के उपबन्धों को ध्यान में रखकर इसे परखना है।

किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई भी कार्यवाही "जो आंतरिक गड़बड़ी फैलाने या जन सेवाओं में बाधा पहुंचाने के लिए जानबूझ कर की गई है, या जानबूझ कर बनाई गई योजना का एक भाग है", देश-विरोधी गतिविधि समझी जायेगी। यह बहुत ही व्यापक उपबन्ध है। संवैधानिक संशोधन के मामले में यह पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। यहां इसमें कुछ त्रुटि है और इसे दूर किया जाना चाहिए।

राष्ट्र-विरोधी संगठन का अर्थ, उस संगठन से है, जिसके सदस्य को देश-विरोधी गतिविधि करते हैं या उसमें लगे हुए हैं। कोई बहुत बड़ा संगठन हो सकता है जो कि वास्तव में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में न लगा हो। किन्तु यदि इसके चार या पांच सदस्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधि में लगे हों या उस संगठन के उचित प्रयासों को विफल करने के लिए उसमें कुछ देश-विरोधी तत्व घुस जायें तो क्या सरकार खंड 5 के अन्तर्गत उसे राष्ट्र-विरोधी संगठन करार देगी? यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : खंड 5 में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उन व्यक्तियों की गतिविधियां देश-विरोधी समझी जायें जो कि देश-विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों की सहायता करें।

डा० रानेन सेन : खंड 5 बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसका परिणाम जनसाधारण के लोकतांत्रिक तथा अधिकारपूर्ण आन्दोलन को दबाना होगा। सरकार को यह उपबन्ध इस विधेयक में नहीं जोड़ना चाहिए।

खंड 5 के उपबन्ध जनसाधारण के विरुद्ध जायेंगे। हड़तालों पर रोक लग जायेगी। यह स्पष्टतया कार्मिक संघ आन्दोलन, किसान आन्दोलन तथा खेतिहर श्रमिकों के आन्दोलन के विरुद्ध है।

निम्न स्तर पर अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में विद्यमान कानूनों का दुरुपयोग किया है। स्थानीय अधिकारियों की ही तूती बोलेगी।

खंड 5 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने का कार्य स्थानीय अधिकारियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां शत्रुता के कारण लोग गिरफ्तार किये गये हैं तथा संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए जो कि यह निर्णय करेगा कि क्या कोई विशेष व्यक्ति या विशेष संगठन किसी राष्ट्र-विरोधी गतिविधि में लगा हुआ है। उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी होना चाहिए।

शिक्षा, सेवाओं आदि के बारे में कई न्यायोचित शिकायतें हैं। यदि कोई इस तरह का आन्दोलन चलता है कि मुसलमानों को शिक्षा में उचित भाग नहीं मिला तो फिर पुनः देश की सुरक्षा तथा एकता में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। इसलिए इस बात की संभावना है कि इस खंड का अल्पसंख्यकों या मुसलमानों के विरुद्ध दुरुपयोग होगा।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): There is a reference of anti-national activities in clause 5, but there is no mention of anti-social elements or activities. My amendment is this that the word "or Social" should be added after the word "nation". Because both, anti-national and anti-Social activities are dangerous for the country. Both are equally harmful for the society.

There is a reference of creating disturbance among the various religious groups in this clause. My suggestion is this that after the word "religious" "castes" word should be added.

On page two the word intended had been used. I could not follow the Hindi translation of this word. In the same manner tough Hindi translated words have been used for word 'disrupt' etc. Such tough words should not be used. I have given few amendments in regard to such words also.

Attempt to disrupt harmony between different religious groups will be construed as anti-national activity. Activities aiming at disrupting harmony between different castes should also be regarded as anti-national. I would request the hon. Minister to accept my amendments.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोखले अपने संशोधन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : यह एक औपचारिक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः आप इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। डा० कैलास आप अब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत सरल है। खंड 5 में एक नया अनुच्छेद 31 ङ में जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें यह उपबंध हो कि अनुच्छेद 19 में निहित सम्पत्ति के अर्जन, अपने पास रखने तथा उसे निपटाने का अधिकार संविधान के भाग चार में निहित निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए किसी कानून को अधिनियमित करने पर ही होगा। हमारा लक्ष्य समाजवाद है जब यह बात स्पष्ट है तो सम्पत्ति के अर्जन और उसके रखने सम्बन्धी शब्द को रखने की क्या आवश्यकता है। स्वभाविक रूप से हम उन लोगों को सीमित रखना चाहते हैं जिनके पास सम्पत्ति है। विधि मंत्री को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): Mr. Deputy Speaker, sir I would like to make few observations in regard to my amendments Numbers 559 and 560. This part of the 44th amendment is most damaging. Though this clause the bureaucracy has been given enormous powers.

Clause 5 gives a very comprehensive definitions of anti-national activity. Who will decide whether a particuuar organisation is anti-national or not? This will be decided by bureaucrats. This clause will thus arm the bureaucracy with widepowers which can be misused.

There are already laws to deal with anti-national activities. There are provisions in the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code. The unlawful Activities (Prevention) Act is also there. In view of this why clause 5 is included in this Bill?

It is a dangerous clause and will bring disgrace to this Parliament. I have given an amendment to the effect that a part of this clause should be deleted. This amendment should be accepted.

उपाध्यक्ष महोदय : यह खण्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इसके संबंध में कई माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए है लेकिन जब भी मैं उनका नाम बुलाता हूं तो वे अपना संशोधन पेश करने के लिए यहां उपस्थित नहीं होते और अब मैं उन्हें अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दूंगा । श्री कार्तिक उरांव मैंने आपका भी नाम बुलाया था पर शायद आप बोलने के लिए तैयार नही थे । खैर आप अब अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहार डगा): मैंने अपना संशोधन उपखण्ड (4) के बारे में प्रस्तुत किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मेरे कार्यालय ने बताया है कि आप इस संबंध में बोल चुके हैं । अतः आप कृपया बैठ जाएइ क्योंकि अभी काफ़ी सदस्यों को इस विषय पर बोलना है अतः आपको दुबारा इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती आप कृपया सहयोग दीजिए मैं वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : कानून और संविधान सरकार को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां देता है । अब कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है यद्यपि अनुच्छेद 14, 19 और 31 विद्यमान रहेंगे ।

एक व्यक्ति की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कानून हैं । परन्तु संगठनों को इन गतिविधियों से रोकने के लिए कानून में कुछ कमियां है तथा उन्हें दूर करना है ।

सम्पत्ति से संबंधित अनुच्छेद 31 पर किसी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स समय विचार क्यों किया जा रहा है । इस अनुच्छेद का इससे सीधा संबंध नहीं है ।

यदि कोई संगठन मूलतः राजनीतिक है परन्तु उसकी आड़ में किसी धर्म और मंत्र पूजा आदि का प्रचार करता है तो उस पर नियंत्रण रखना वर्तमान खण्डों के अंतर्गत कठिन होगा क्यों कि अनुच्छेद 25 और 26 को इस खण्ड को समाप्त करने के लिए भी लाया जा सकता है । इस पर विचार किया जाए । खण्ड 5 में भी सरकार को उखाड़ने से संबंधी कार्यवाहियों को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है । इसका अर्थ हुआ कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए संसद् ही कानून बना सकती है विधान सभाएं नही । यह अनुच्छेद 246 का उल्लंघन होगा और समवर्ती अथवा राज्य सूची के कुछ विषयों को निकालना होगा ।

खण्ड 4 (ख) दो में कहा गया है कि जो गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता और गरिमा को नकारती हैं, संदेह करती हैं, छिन्न-भिन्न करती हैं अथवा उसके लिए खतरा पैदा करती है वे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों हैं । प्रभुसत्ता को स्वीकार न करने अथवा उसके संबंध में संदेह करने वाले शब्दों का लोप कर दिया गया है । इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

भाग 3 में एक संगठन का अर्थ है व्यक्तियों का संगठन परन्तु यदि निगमित व्यक्ति, शक्ति संपन्न व्यक्ति का संगठन बनाते है तो वह इस खण्ड के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा । 'व्यक्ति' शब्द के संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि वह निगमित है अथवा अनिगमित । हमें चाहिए कि हम इस खण्ड की

पकड़ को इतना व्यापक बनाए जिससे कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं पाए। मैं इस खण्ड को अत्यधिक सावधानी बरते जाने की चेतावनी के साथ स्वीकार करता हूं। यह चेतावनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सरकार को अपने अधिकारों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करना होगा इस प्रकार नहीं करना होगा कि कुछ संगठित संघ उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाए। संसद् देश की एकता सर्वोच्चता कानून व्यवस्था नैतिकता आदि बनाए रखने के लिए किसी भी संघ पर रोक लगा सकती है। मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मेरी बातों पर विचार करें।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नोज) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 के बारे में लोगों में बड़ा सन्देह है। वे सोचते हैं कि यदि इस का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस लिए यह आवश्यक है कि लोगों को इस के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाये।

अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि खण्ड 5 का मामला स्वर्ण सिंह समिति के समक्ष नहीं था। इस से यह जाहिर होता है कि संविधान में इस उपबन्ध को शामिल करने में नौकरशाही का हाथ है तथा वे चाहते हैं कि जनता पर उन का नियंत्रण रहे। वस्तुतः जब हम गुलाम थे और हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस जमाने में भी न्यायालयों से सुरक्षा प्राप्त करने से वंचित करने का उपबन्ध नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता कि कार्यपालिका अथवा सरकार हमेशा सही ही होगी तथा उन का कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। इसी लिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि किसी भी नागरिक को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाने के अवसर से वंचित न किया जाये।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : महोदय, मैं इस खण्ड का स्वागत करता हूं। देश में तमिलनाडु राज्य को छोड़ कर और किसी राज्य में ऐसा दल नहीं है, जो देश से पृथक होने की बात कहता हो। केवल तमिलनाडु में ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिस का उद्देश्य देश के मुख्य भाग से अलग होना और उस का अंग न रहना था। अब औपचारिक रूप से उसने भी अपना वह उद्देश्य छोड़ दिया है, परन्तु वह छिपे तौर पर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयास करता रहा है। इस लिये मैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के उपबन्ध का स्वागत करता हूं। फिर भी मैं यह चाहता हूं कि सामान्य रूप में वैध और विधि सम्मत राजनीतिक गतिविधियों को, जो देश की सेवा अपने आदर्शों के अनुरूप करके सरकार के शन्तिपूर्वक तरीके से चुनाव द्वारा बदलना चाहती हैं, स्वतंत्रता-पूर्वक चाल रखने दिया जाये ? इस सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन भी दिया है।

श्री प्रियरजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : चूंकि मैं अब अपना संशोधन पेश नहीं कर सकता इस लिये मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें जनता को और संसार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि "राष्ट्र विरोधी गतिविधि" से हमारा तात्पर्य क्या है। अब क्योंकि समाजवाद की भावना को प्रस्तावना में शामिल कर उसे संविधान और देश का मार्गदर्शक बना दिया गया है, सम्पूर्ण राष्ट्र समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है। समाजवाद किसी दल विशेष की बपौती नहीं है, अपितु काश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक समूचे राष्ट्र का संकल्प है। अब हमें धीरे-धीरे अपने समाजवाद के कार्य-क्रमों को लागू करना है। अतः अब कोई यदि इस का विरोध करता है तो उसकी गतिविधि को राष्ट्र विरोधी माना जाये।

श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन के दौरान गांधी पीस फाऊंडेशन को भारी मात्रा में विदेशी धन प्राप्त हुआ था। देश में ऐसे और भी कई न्यास तथा सोसाइटियां हैं, जिन्हें सरकार की जानकारी के बिना भारी मात्रा में विदेशी धन प्राप्त होता है। यदि किसी न्यास या ग्रुप या किसी व्यक्ति

की भारत में शाखायें हैं और भारत सरकार को उन की जानकारी नहीं है और उन्हें विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है, तो उन को राष्ट्र विरोधी माना जाये। ऐसे सभी न्यासों और उनकी शाखाओं को राष्ट्र विरोधी घोषित करके उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने अपने भाषण में कहा था कि मिस्टर जे० कुमार नामक किसी व्यक्ति ने वाशिंगटन में इंडियन डेमोक्रेटिक ग्रुप का गठन किया है। किसी अन्य व्यक्ति ने लंदन में इंडियन हारमोनी सोसाइटी नामक संस्था का गठन किया है। किसी और व्यक्ति ने पश्चिम जर्मनी में इंडियन नेशनल क्लब बनाई है। वे लोगों को आमंत्रित करते हैं तथा ऐसा ज्ञात हुआ है कि देश में संकट के समय उन्होंने देश की जो तस्वीर पेश की है वह किसी दल विशेष के विरुद्ध नहीं अपितु देश की लोकतंत्रात्मक पद्धति के विरुद्ध है। वे इस विचार धारा का प्रचार करते हैं कि हम देश के लोकतंत्रात्मक दृष्टिकाण के विरुद्ध हैं। इन ग्रुपों और व्यक्तियों की शाखायें और सहयोगी हैं जो कार्य कर रहे हैं तथा जो समाज विरोधी गतिविधियों के अन्तर्गत नहीं आते हैं। यदि उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता, तो राष्ट्र विरोधी क्या है?

जहां तक कार्मिक संघ गतिविधियों का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि अभी भी कुछ लोग कार्मिक संघ गतिविधियों की आड़ में देश विरोधी कार्यवाइयों में लगे हुए हैं। लोकतन्त्र में बहुमत की बात मानी जाती है तथा यह सिद्ध हो गया है कि बहुमत हमारे साथ है, न कि दक्षिण-पंथी प्रतिक्रियावादियों के साथ। हमारे देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकारी गृहों की भावना को समझते हुए मैं यह कहता हूं कि यदि एकाधिकारी गृह ऐसी गतिविधियों में लगते हैं जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाये तथा उसी के अनरूप उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): I have given amendments to clause 5 as I apprehend that this clause is likely to be misused by the bureaucracy. After the Bill is passed if some individuals are holding a meeting they can be arrested on a mere suspicion of an official that they want to overthrow the Government or create internal trouble or want to disrupt the services. This is highly unfair.

Earlier also when MISA was enacted, an assurance was given to the House that the measure would not be used for political purposes. But later facts belied this.

It is being falsely propagated that Muslims are against sterilisation. Recently there has been a case of firing in Muzaffarnagar where 40 persons have been killed as a result of firing because the Magistrate thought that the Muslims were against sterilisation. Such misuse of power is likely to take place again.

I am afraid this measure would be used against minorities and also against communist workers. This measure would put to stop all progressive activities. If my party workers would hold a meeting to agitate against monopolists and exploitation of workers, such a meeting would be banned on the ground of 'anti-national' activity. This should be looked into seriously.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : कुछ सदस्यों का कहना है कि खण्ड 5 को हटा दिया जाये। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इसकी शब्दावली को कुछ ढीला किया

जाये। मैं उनकी इस मांग से सहमत नहीं हूं। यह उपबन्ध भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया गया है।

यह आरोप लगाया गया है कि सरकार फ़ासिस्ट शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। इस उपबन्ध का मुख्य उद्देश्य फ़ासिस्ट संगठनों को, जो सरकार को उलटना चाहते हैं और देश में लोकतन्त्र के संवैधानिक विकास को रोकना चाहते हैं, नियन्त्रण में रखना है।

कुछ उचित आशंकायें भी उठायी गई हैं कि इस उपबन्ध का उपयोग कार्मिक संघों के विरुद्ध किया जायेगा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के कानून का उपयोग उचित कार्मिक संघ गतिविधियों को रोकने के लिये नहीं किया जायेगा। इस उपबन्ध के द्वारा सरकार को कोई कार्यवाही करने का वैध अधिकार ही दिया गया है। इसलिये कौन-सी गतिविधियों को इसके अन्तर्गत रखा जायेगा यह संसद् द्वारा इस कानून के पास किये जाने पर ही निश्चित हो सकेगा। बहुत से भय समय से पूर्व हैं।

यह कहा गया है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इस पर संसद् या अन्य ऐसी किसी संस्था की मार्फ़त जनमत के द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। परन्तु केवल एक या दो जगह इसका दुरुपयोग होने से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानून या उपबन्ध सर्वथा बेकार है। इस सम्बन्ध में कानून में कुछ सुरक्षात्मक उपबन्ध भी किये जा सकते हैं। न्यायाधिकरण की स्थापना करना एक ऐसी सुरक्षा है जिस पर विचार किया जा सकता है।

यह आशंका भी प्रकट की गई है कि इस कानून के पास होने से अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को, भले ही वह बहुसंख्यकों द्वारा या अल्पसंख्यकों द्वारा की गई हो, रोकना आवश्यक है। कल प्रधान मन्त्री द्वारा आनन्द मार्ग और राष्ट्रीय स्वयं संघ का उल्लेख किया गया था। आज तो आपात स्थिति में उन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन सामान्य स्थिति में भी उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा सकता।

जब यह कानून पास किया जायेगा तो उसके सभी पहलुओं पर विचार होगा। संसद् इस पर विचार करेगी और उसे पास करेगी। कानून के लागू किये जाने पर यदि न्यायाधिकरण बना तो वह उस पर दृष्टि रखेगा। असली बात यह है कि हम पहले से नहीं सोच सकते कि संसद् क्या निर्णय लेगी। लेकिन किसी छोटे अधिकारी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी संगठन को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दे।

श्री स्टीफन ने पूछा है कि वर्तमान संविधान के उपबन्धों के अधीन ऐसा क्यों नहीं किया जाता। हमने बहुत गम्भीरता से और बारीकी से जांच की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि बिना उपयुक्त संसदीय संवैधानिक प्राधिकारों के ऐसा करना खतरनाक है। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित न्यायपालिका इन मामलों पर उचित रूप से विचार नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे प्राधिकरण के गठन की आवश्यकता है जो, कानूनी और तकनीकी उलझनों से बच सके और साथ ही यह निर्णय भी कर सके कि कौन-कौन सी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 तथा कई अन्य अनुच्छेद ऐसे हैं कि जिनकी आड़ में न्यायालय किये गये फ़ैसलों को रद्द कर सकता है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह संवैधानिक संशोधन किया गया है।

मेरे विचार से हम पूरे भाग 3 को आपत्तिजनक न मानें। अनुच्छेद 25 और 26 भी इस कानून के परिचालन में बाधक नहीं हैं। आनन्द मार्ग जैसा संगठन इन अनुच्छेदों का आश्रय ले सकता है पर किसी एक संगठन के लिए बहुत व्यापक कानून नहीं बनाया जाना चाहिये। यह भी कहा गया है कि

[श्री एच० आर० गोखले]

अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 19 के साथ क्यों शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में सम्पत्ति भी शामिल है लेकिन अनुच्छेद 31 अधिक स्पष्ट है। ऐसे संगठनों की शक्ति उनकी सम्पत्ति होती है इसलिए सम्पत्ति सम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए अधिक सावधानी के रूप में राष्ट्र विरोधी संगठनों की सम्पत्ति पर विचार करने का अधिकार भी इस उपबन्ध में रखा गया है।

समाज विरोधी शब्द नहीं रखा गया है क्योंकि हम राष्ट्र की व्यापक समस्या पर विचार कर रहे हैं।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Anti-social elements are no better. They are the worst enemies of the society. They are social offenders and mislead the public. Their activities should be regarded as anti-national.

Shri H. R. Gokhale: We will look into it whenever the need arises.

अल्पसंख्यकों को भी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां करने का अधिकार नहीं। राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाला कोई भी क्यों न हो उसे परिणाम भुगतना होगा। (व्यवधान)

खण्ड—6

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 6 पर विचार करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 27 पेश करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 82 पेश करता हूं।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं संशोधन संख्या 171 पेश करता हूं।

श्री के० मायातेवर : मैं संशोधन संख्या 554 पेश करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अनुच्छेद 32 क का जोड़ा जाना स्वागत योग्य है। यह एक अच्छा उपबन्ध है क्योंकि अनेकों राज्यों में राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों को उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। कई मामलों में इन्हें लागू किये जाने से रोक दिया है। संविधान के लागू होने के समय से ही हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती रही हैं और उनसे निपटने के लिए संशोधन किये गये हैं। यहां मेरा संशोधन यह जोड़े जाने के बारे में है "अथवा जब तक किसी राज्य का विधान भाग चार में निहित स्वार्थों के विरुद्ध है।"।

इस संशोधन विधेयक द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि यदि मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धान्तों में टकराव हो तो निदेशक सिद्धान्तों को प्राथमिकता दी जाये। परन्तु विधेयक द्वारा संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे न्यायालयों को यह अधिकार मिल सके कि वे निदेशक सिद्धान्तों को लागू करा सकें। इस संशोधन के स्वीकार किये जाने से सरकारी नीतियों और घोषणाओं पर पुनः विचार हो सकेगा अथवा सम्पत्ति के अधिकार और निदेशक सिद्धान्तों के बीच मेल नहीं हो सकेगा। उच्च न्यायालय के बारे में भी ऐसा ही संशोधन पेश किया गया है। आशा है दोनों स्वीकार कर लिए जायेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तपुत्रा): मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन पेश कर रहा हूं। वह यह है कि प्रस्तावित अनुच्छेद 32क के अन्त में यह जोड़ा जाये :

"अथवा अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत बनाये गये विधान पर विचार किया जा सके।"

मुख्य समस्या अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत पास किये जाने वाले कानूनों को बचाने की है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत पारित कानून अनुच्छेद 30 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते। अनुच्छेद 368 को संशोधित किये जाने के बाद भी उन्होंने सभा द्वारा पारित कानूनों को रद्द किया है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार के बारे में है। इसलिये उच्चतम न्यायालय के पास मामला ले जाया जा सकता है।

श्री गोखले ने एक और संशोधन पेश किया है कि संविधान के किसी भी संशोधन पर न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि यह बात उस संशोधन के अन्तर्गत आ गई है। लेकिन इसके अन्तर्गत एक विशेष प्रकार के मामले नहीं आते।

(व्यवधान)

न्यायालय ने 24वें और 25वें संशोधन को रद्द कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर ये संशोधन पास नहीं किये। बल्कि वह साधारण कानून हैं। इस दशक में हमारा उद्देश्य संविधान को बचाना और अपनी संवैधानिक सत्ता को पुनः कायम करना है। हमें सभी त्रुटियों को दूर करना है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 452 पेश करना चाहता हूं। संशोधन संख्या 27, 82 और 452 तो एक ही चीज हैं।

सभापति महोदय : 452 और 27 संशोधन भी एक से हैं। मैं उनके लिए अनुमति नहीं दे सकता।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नोज): सभापति महोदय, मेरा संशोधन खण्ड 6 के बारे में है। संशोधन यह है "सिवाय इसके जबकि मामले पर उच्चतम न्यायालय में अपील की गई हो" शब्दों को जोड़ना है। यह संशोधन न किया गया तो कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती नहीं दे सकेगा। ऐसी स्थिति में वादी केवल विशेष अनुमति की शरण ही ले सकता है। अतः यह आवश्यक है कि नागरिक को राज्य द्वारा पास किये गये कानून के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सके। अतः मेरे संशोधन संख्या 171 पर विचार किया जाये। यह मेरा अनुरोध है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): सभापति महोदय, संवैधानिक उपचार तो देश के नागरिक का अधिकार है। मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि निदेशक सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे जाने की अनुमति होनी चाहिये और उच्चतम न्यायालय उस पर विचार करे। हम उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र का विस्तार नहीं चाहते लेकिन निदेशक सिद्धान्त तो संविधान की जान हैं। यदि किन्हीं स्थितियों में राज्य विधि या सरकार संविधान के विरुद्ध जाती हैं तो नागरिक को उच्चतम न्यायालय में मामला ले जाने का अधिकार हो।

मन्त्री जी ने इस खण्ड को विधेयक में शामिल करने का कोई आधार नहीं बताया है। खण्ड 31क तथा 32क में कुछ विरोध है और कुछ न्यायाधीश अथवा अवांछनीय तत्व इसका नाजायज लाभ उठा

[श्री डी० के० पंडा]

सकते हैं। अतः अब जबकि हमने नीति-निदेशक सिद्धान्तों के आधार पर इतना विचार किया है और उन्हें संविधान का मुख्य केन्द्र माना है तो ऐसी स्थिति में यदि कोई राज्य का कानून नीति निदेशक सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगुल): अब स्थिति यह है कि केन्द्रीय कानूनों को केवल उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। यदि दक्षिण के राज्यों में, अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक अथवा केरल में रहने वाले किसी भी नागरिक को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत होगी तो उच्चतम न्यायालय की शरण में आने के लिये उसे दिल्ली आना पड़ेगा। इन लोगों को दिल्ली तक आने के लिये परेशान क्यों किया जाये? क्योंकि उन्हें यहां आने के लिये हजारों मील की यात्रा करनी पड़ेगी। यहां अवसरों में समानता नहीं हैं। मेरी सीधीसी मांग यह है कि दक्षिणी राज्यों को उच्चतम न्यायालय में मामला पेश करने के अधिकार से वंचित क्यों किया जाये। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिये उच्चतम न्यायालय की एक बेंच अथवा शाखा दक्षिण में खोली जानी चाहिये। ताकि इससे चारों राज्यों को सुविधा हो सके।

आशा है मंत्री महोदय दक्षिण के लोगों की ओर से की गई मेरी इस मांग पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे। इस आशय का खंड 6 में एक संशोधन किया जाये।

श्री एच० आर० गोखले: एक प्रस्ताविक संशोधन नीति निदेशक सिद्धान्तों के उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती देने के सम्बन्ध में है। समझ में नहीं आता कि उच्च न्यायालय में इन कानूनों के बारें में चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है और उसके विरुद्ध चुनौती देनी ही है तो उच्च न्यायालय में उसके लिये चुनौती दी जा सकती है।

माननीय सदस्य श्री स्टीफन ने कहा है कि केन्द्रीय कानून के सम्बन्ध में अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत चुनौती देने की मनाही होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में हमें खंड 32 में एक उपबन्ध करना चाहिये। हम इस पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक समझा गया तो इस आशय का एक संशोधन पेश किया जायेगा अथवा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री मिश्र ने कहा है कि अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह सही नहीं है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रतिबन्ध केवल चुनौती देने पर है। चुनौती केवल राज्य के कानून की संवैधानिक वैधता तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 133, 134 और विशेषकर अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में अभी भी अपील की जा सकती है। हम यह अधिकार नहीं छीन रहे हैं अतः यह कहना कि अपील का अधिकार नहीं रहा, ठीक नहीं है। केवल अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अपील नहीं की जा सकती।

संवैधानिक पीठ के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है। यह कोई संवैधानिक संशोधन का मामला नहीं है। यदि यह वास्तव में आवश्यक है तो यह स्वतंत्र विचार का मामला है। इस बारे में संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

खंड 7

Clause 7

Mr Chairman: Mr. Shankar Dayal Singh your amendment No. 504 is similar to amendment No. 232 moved by Shri Daga. So you cannot move your amendment. You can speak on it with Mr. Daga.

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 232 तथा 233 पेश करना चाहता हूं ।

श्री शिब्बन लाल सक्सेना : : मैं संशोधन संख्या 264 तथा 265 पेश करता हूं ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं संशोधन संख्या 318 पेश करता हूं ।

श्रीमती पार्वतीकृष्णन : मैं संशोधन संख्या 453 पेश करती हूं ।

Shri M. C. Daga: It is everywhere stated that every citizen has right to become the President or the Prime Minister, but no equal opportunities are available to them. We have mentioned the word "Socialist" in our Constitution and therefore it is our duty to provide equal opportunities and facilities to all children. Today we see that the children of rich people are studying in Public Schools, but the poor people are unable to get their children admitted in such schools. Therefore it is very essential to remove disparity. The Minister should see into it.

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना : समाजवादी देशों में बच्चों की खूब देखभाल की जाती है । 7 वर्ष तक के बच्चों को वहां राष्ट्रीय सम्पत्ति की तरह समझा जाता है । यदि यह उपबन्ध किया जा रहा है तो फिर बच्चों की उसी तरह देखभाल की जानी चाहिये जैसे कि समाजवादी देशों में होती है ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : इस संशोधन का आशय यह है कि जनसंख्या तथा परिवार नियोजन निदेशक सिद्धान्तों का ही एक भाग होना चाहिये । परिवार नियोजन अत्यधिक आवश्यक है । विपक्ष इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहा है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर): मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में काम करने के अधिकार का उल्लेख है । अनुच्छेद 39 में कहा गया है "समान रूप से नर और नारी, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ।" "जीविका के पर्याप्त साधन" का अर्थ कुछ भी हो सकता है । मंत्री महोदय का कहना है कि इसका उल्लेख पहले से ही नीति निदेशक सिद्धान्तों में है । यदि ऐसा नहीं है तो उसमें इसे निगमित किया जाये । "उद्योग" शब्द की पुनः व्याख्या की जाये । राज्य स्वामित्व सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये । कहा गया है कि इस विधेयक का मुख्य उद्धेश्य देश में गरीबी को दूर करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है । संविधान में यह संशोधन लाने का उद्धेश्य ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जिसमें हम प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगें बढ़ सकें ।

अतः राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में समान रूप से संशोधन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि इस विचार को अधिक स्पष्ट किया जा सके । इसीलिये हमने यह प्रस्ताव किया है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में उन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जोकि देश की औद्योगिक प्रगति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है, पूरे निदेश दिये जायें । हमने हमेशा इन उद्धेश्यों जैसे चीनी, कपड़ा इत्यादी, जो कि लोगों के जीवनयापन के लिये आवश्यक हैं कि राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता पर बल दिया है । मुख्य खंड के उपखंड (ख) में संशोधन कराने का यही उद्धेश्य है ।

नीति निदेशक सिद्धान्तों में भूमी सुधारों के बारे में नहीं बताया गया है । भुमी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिये हमें कुछ और बातों जेसे किसानों के स्वतः खेती करने वाले स्वैछिक

सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देना होगा । इ.: .ःतिविधि को बढ़ावा देने के लिये सहकारी संगठनों की स्थापना आवश्यक है । इस आन्दोलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि यह हमारे संविधान का एक अंग बने ।

मंत्री महोदय का विचार है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में काम करने के अधिकार का उल्लेख है पर वस्तुतः उनमें इसका उल्लेख नहीं है । अनुच्छेद 39 में जीविका के पर्याप्त साधनों के साथ साथ काम करने के अधिकार को भी जोंड़ा जाय । सभी विकृतियों से बचाने के लिये काम करने के अधिकार को अनुच्छद 39 का आवश्यक अंग बनाया जाये । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वितरण प्रणाली अथवा आवश्यक, राज्य के क्षेत्राधिकार में तथा उसके नियंत्रण के अन्तर्गत होने चाहियें ।

Shri Shankar Dayal Singh: The word "equal" is symbol of democracy and But it is not possible because the children of rich people are studying in public or But it is not possible because the children of rich people are staying in public or convent schools whereas the children of poor people are studying in ordinary schools. So I strongly say that the English language is creating hurdles in giving equal opportunities to all the children. In our country English has become the only yard-stick for judging the ability of a man. A man who speaks fluent English suffers from superiority complex. So my aim in moving this amendment is to get dignified place for all Indian languages.

We have repeatedly emphasised the fact that dignity of and loyalty to the Constitution must be maintained. One nominated member who has not faced the electorate like us discredited the Hindi language some days ago in this august House. Is it not an insult to the Constitution.

So my submission is this that the children should be given equal opportunities so that they may develop in healthy atmosphere in a dignified manner. Same standard of education should be introduced in all the schools. So the word 'equal' should find a place in the Amendment.

श्री सी० के० चद्रप्पन (तेल्लीचेरी) : इस संशोधन का एक मुख्य उदेश्य सामाजिक, आर्थिक क्रान्ति लाना है । यह बात दोहरायी गयी है कि समारा लक्ष्य समाजवाद है । यदि इस उद्धेश्यों को प्राप्त करना है तो राज्य के निदेशक सिद्धान्तों में उन उपायों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी होगी जिनके आधार पर हम ऐसा कर सकत हैं । इस देश को समाजवाद की ओर अग्रसर करने के लिय हमें निर्धनता और अज्ञानता के लिय उत्तरदायी कारणों को दूर करना होगा ।

इस तथ्य को सरकार ने भी स्वीकार किया है कि देश में एकाधिकार गृह कृत्रिम अभाव पैदा करके और चोर बाजारी करके करोड़ों निर्धन व्यक्तियों की कठिनाईयों को बढ़ा रहे हैं ।

हमारे संशोधन में प्रत्येक व्यक्ति के लिये रोजगार सुनिश्चित करने की बात कही गई है । पर यह बात स्पष्ट शब्दों में कही जाये । हम केवल प्रयास ही नहीं करेगें बल्कि यह कहा जाये कि रोजगार प्रदान किया जायगा ।

हमने भूमि सुधारों के बारे में एक संशोधन रखा है जिसे निदेशक सिद्धान्तों में स्थान दिया जाये । 20-सूत्री कार्यक्रम के केन्द्र-भूमि भूमि सुधार हैं । अतः उन्हें भी निदेशक सिद्धान्तों में रखा जाये ।

हमारे निदेशक एसे हों जिनसे हम समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त कर सकें ।

अध्यक्ष पिठासीन हुए

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

श्री एच० आर० गोखले : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, सिद्धान्त रूप में हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है । दो अनुच्छेदों को मिला कर एक करने का भी प्रयास किया गया है । अनुच्छेद 41 में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, कार्य करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिये प्रभावी उपबंध करेगा । संशोधन का केवल यही भाग इस उद्देश्य हेतु संगत है । अनुच्छेद 38 के बारे में भी यही स्थिति है । संशोधित प्रारूप में अधिकांश तथा इन्ही विचारो को स्थान दिया गया है । कुछ बातो को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । पर ये सभी बाते इस विधेयक में आ गई है । अतः विद्यमान निदेशक सिद्धान्तों में केवल उस संशोधन को छोड़कर जिस पर हम विचार कर रहे हैं, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अगले खंड पर विचार करने के लिये हमें देर तक बैठना होगा । हम अपनी समयसारिणी को अधिक अच्छी तरह निर्धारित कर लें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्योंकि हम लोग सहमत हुए थे कि मतदान 5.30 बजे होगा । अत : बहुत से सदस्य उस समय आयेंगे ।हमें 8 या 9 बजे तक बैठना होगा । कल हम अधिक समय तक बैठ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम आज नहीं बल्कि कल से देर तक बैठेंगे ताकि कल 25 खण्ड निपटाय जा सकें ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना ने संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत किया ।

श्री हरी किशोर सिंह ने संशोधन संख्या 193 प्रस्तुत किया ।

श्री निम्बालकर ने संशोधन संख्या 253 प्रस्तुत किया ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना ने संशोधन संख्या 266 प्रस्तुत किया ।

श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान ने संशोधन संख्या 294 प्रस्तुत किया ।

श्री धरणीधर दास ने संशोधन संख्या 341 प्रस्तुत किया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने संशोधन संख्या 454 प्रस्तुत किया ।

श्री विभूति मिश्र ने संशोधन संख्या 489 प्रस्तुत किया ।

श्री शंकर दयाल सिंह ने संशोधन संख्या 505 और 505 प्रस्तुत किया ।

डा० कैलाश ने संशोधन संख्या 555 प्रस्तुत किया ।

श्री राम हेडाऊ ने संशोधन संख्या 556 प्रस्तुत किया ।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैंने दो संशोधन पेश किये हैं । इनका सम्बन्ध निःशुल्क कानूनी सहायता से है । मेरे संशोधन का उद्देश्य "ऐसी विधि प्रणाली की व्यवस्था करना जो कि कम खर्चीली हो तथा जिससे न्याय शीघ्र मिल सकें" । मंत्री जी को कुछ ऐसे उपाय खोजने चाहिये जिससे यह उद्देश्य पूरा हो सके ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : आज हम जिस खंड पर चर्चा कर रहे हैं उसमें अतिरिक्त खंड जोड़ना मेरे संशोधन का उद्देश्य है। काम करने के अधिकार का न तो निदेशक सिद्धान्तों में और नहीं मूल अधिकारों में स्थान दिया गया है। आप मेरे संशोधन को पढ़ कर देखेंगे कि उसके पहले उपखंड में निःशुल्क एवं समान शिक्षा लागू करने की बात कही गई है। निदेशक सिद्धान्तों में कार्य के अधिकार को शामिल न किये जाने से भी अनेक सदस्य खुश नहीं है। सरकार रात-भर में यह सब कुछ नही कर सकती। पर इन शब्दों से जनता को स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

दूसरे उपखंड में मैंने समाजवाद' शब्द की व्याख्या व्यापक रूप में दी है जिससे अधिकांश सदस्य सहमत होंगे।

मूल अधिकार तो कागज पर होते हैं। हमी लोग इसे सार्थक करते हैं। श्री गोखले का कहना है कि हम देश का तेजी से विकास करना चाहते हैं। लेकिन विकास की दिशा क्या होगी ? इसी कारण हम संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : अब हम खंड-वार मतदान करेंगे।

सभापति महोदय द्वारा खण्ड 2 के लिए सभी संशोधन एक-साथ सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments were put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में---353

Ayes—353

विपक्ष में---शून्य

Noes—Nil

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिमाहाई से अन्यून बहु मत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majorityof not less than two-thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

अध्यक्ष महोदय : खंड 3 के लिए कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided:

पक्ष में

Ayes .. 354.

विपक्ष में

Noes .. Nil.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 के लिए दो संशोधन हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 206 और 304 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

The Amendments were put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में

Ayes .. 354.

विपक्ष में

Noes .. 5.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकारी संशोधन संख्या 549 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 24, --

'(44वां संशोधन) **के स्थान पर**

'(45वां संशोधन)' **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 451 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was put & neagtived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 5 के लिए सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The Amendments were put & negatived.

मध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में		
Ayes	..	324.
विपक्ष में		
Noes	..	30.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में. विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The Amendments were put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में
Ayes .. **351.**

विपक्ष में
Noes .. **2.**

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 453 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ :

The amendment was put & negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हु ।

The amendments were put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में

Ayes .. 358.

विपक्ष में

Noes .. Nil.

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two thirds of the Members present & voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1976/7 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, October 29, 1976|Kartika 7, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु०—लो० स० III— 2140 एल० एस०—25-11-76—200